

देह के अंत के बाद भी नेत्रों से रोशन होंगी ज़िंदगियाँ

सेटी परिवार की मातृशक्ति श्रीमती विमला देवी सेटी की निधन उपरांत 520वाँ नेत्रदान



खण्डवा। सतीश नगर, खण्डवा निवासी सेटी परिवार की वयोवृद्ध एवं लक्ष्मणी मातृशक्ति श्रीमती विमला देवी प्रति स्वप्नकल्पद सेटी का देवलोचनमन हो गया। उनके निधन के परचावा शोक की इस घड़ी में भी सेटी परिवार ने मानवता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नेत्रदान कर पुण्य का मार्ग चुना। पूरे कमलेश सेटी, भतीजे अरुण सेटी, अलोक सेटी, सुमित सुलभ पांडे आकाश एवं सेटी परिवार की सहायति से लायंस नेत्रदान एवं देहदान जनाङ्गति समिति द्वारा यह नेत्रदान सम्यन् करवाया गया। इस महादान के माध्यम से स्वर्णवासी श्रीमती विमला देवी सेटी की आँखें अब किसी जरूरतमंद के जीवन में उजला बनेंगी। समिति संयोजक नारायण बाहोली ने बताया कि लायंस क्लब खण्डवा, सह्यम संस्था खण्डवा, एम.के.आ. बैंक एवं लिटिल क्लब खण्डवा के संयुक्त सहयोग से नेत्रदान की प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस अवसर पर नारायण बाहोली, डॉ. सोमिल जैन, नेत्र चिकित्सा सहायक प्रह्लाद तिरिये, अनिल बाहोली, घनश्याम वाघवा, डॉ. राधेश्याम पटेल, राजीव शर्मा, राजीव मालवीय, समाजसेवी सुनील जैन, गणेशप्रसाद गदले, सुरेंद्रसिंह सोलंकी, रणवीर सिंह चावला, चंचल गुज, लिटो अनिल बाहोली, सुमित परिराव एवं शिवम जासवाल ने सेवा भाव से सहभागिता निभाई। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि वर्षों से डेडन एवं नेत्रदान केसे अधिपान को समिति के संयोजक नारायण बाहोली एवं समिति सदस्यों के निरंतर प्रयासों से यह 520वाँ नेत्रदान सम्यन् हुआ। नेत्रदान परचावा सेटी परिवार को नेत्रदान आभार पत्र प्रदान कर उनके इस महान निष्पत्ति के लिए कृतज्ञता व्यक्त की गई। समिति ने भावुक अभील करते हुए बताया कि नेत्रदान में केवल कॉर्निया निकाला जाता है, पूरी आँख नहीं निकाली जाती, जिससे दिवंगत का चेहरा यथावत रहता है। जिस समय पर देह होती है, समिति की टीम वहीं पहुँचकर यह पुण्य कार्य सम्पन्न करती है। लायंस नेत्रदान, देहदान एवं अंगदान जनाङ्गति समिति के माध्यम से अब तक 19 दिवंगतों की देह मेडिकल कॉलेज को दान कर चिकित्सा शिक्षा व मानव सेवा को समर्पित की जा चुकी है। नेत्रदान व देहदान संस्कृति जानकारी अथवा योग्यता पत्र भेजने हेतु समिति से कृपया संपर्क किया जा सकता है। स्वर्णवासी श्रीमती विमला देवी सेटी भले ही आज हमारे बीच न हों, पर उनके नेत्रों से अनेक ज़िंदगियाँ रोशन होती रहेंगी।

स्वस्थ भोजन स्वस्थ जीवन को ध्यान में रखते हुए 1 दिवसीय अपवृत आहार की कार्यशाला

बुरहानपुर। रोटी क्लब बुरहानपुर द्वारा स्वस्थ भोजन स्वस्थ जीवन को ध्यान में रखते हुए 1 दिवसीय अपवृत आहार की कार्यशाला रखी गई। जिसमें नई आहार प्रणाली के जनक डॉ. वीर चौधरी द्वारा अपने अत्यंत विचार रखे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटी क्लब अध्यक्ष अशोक अग्रवाल द्वारा की गई। वसुदेव परिधान मंत्र का वाचन विरहाल पंडित द्वारा किया गया। कार्यक्रम संयोजक दीपक सलुजा ने अतिथि परिचय एवं आज के कार्यक्रम के उद्देश्य की जानकारी दी। मुख्य वक्ता वीर चौधरी द्वारा नई आहार प्रणाली को अपने जीवन में आनने से सेहत में चमकदार फायदे बताते हैं इस बात पर अपना दृष्टिकोण दिया। जिस अनन्य वैधान मन इस कहलते को नोटवनी बहुत सारे किस्से बता कर वाचन विरहाल पंडित द्वारा किया गया। उनका मानना है कि मनुष्य को वही भोजन लेना चाहिए जो उसके शरीर की आवश्यकता है न कि वह भोजन जो उसकी जिज्ञा और उसके मन को खुश करते हैं। गुजरात से आए हुए वीर चौधरी की करीब 33 वर्षों से यह सेवा पूरे समाज में करते आ रहे हैं और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई आहार प्रणाली को बहुविधसिध शिबिर के माध्यम से आवागति करते रहते हैं और अभी तक कैसर एवं नई सुपुरते वाले रोगों को भी अपनी इस पद्धति से मरीज को पश्यावत हलुचते आ रहे हैं। शिबिर में शरीर को डिस्टेंस करते हेतु ग्रीन जूस तथा अपवृत आहार जैसे नरवल सवाद, कच्ची सब्जियों का अन्वार, फ्रूट कस्टर्ड और अन्य विशेष वनजन विना किसी मसाले, शक्कर,दूध से बने उत्पादों को विना इस्तेमाल करके बनाया भी दिखाकर एवं सभी कार्यक्रम में सहभागिता करने पहुंचे लोगों को शिक्षार भी बताया। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण कोपापेकर द्वारा किया गया एवं आभार प्रिंस सेटिया ने माना। यह कार्यक्रम प्रजातिता ब्रह्मकुमारि इंटरनैचुरल विद्यालय के साथ संयुक्त तत्वाधान में किया गया एवं ब्रह्मकुमारि स्वाति देवी एगजानन भाई एवं अन्य सदस्यों ने भी सहभागिता करी और सभी भाई बहनों ने कार्यक्रमों के रूप में अपना सहयोग भी प्रदान किया। रोटी क्लब के भी अधिकतम सदस्यों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता करी एवं सेवा में अपना मूल्य योगदान दिया। कुल 150 नागरिकों द्वारा शिबिर का लाभ लिया गया। भविष्य में 4 से 5 दिवसीय शिबिर किया जाएगा जिसकी सूचना सभी को जल्द ही प्रदान की जाएगी।

दो नाबालिग बच्चों की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास

खंडवा। जिला सत्र न्यायालय खंडवा के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री उरुस चतुर्वेदी की न्यायालय द्वारा जन्म एवं चिन्हित प्रकरण में दिनांक 20.01.2026 को निर्णय घोषित करते हुए अभियुक्त जादू पिता 520 रिमज 03 अथवा 35 वर्ष निवासी तालमटोटी ग्राम जामनी भावा पंधना जिला खंडवा को नाबालिग बालक उम्र 05 साल की हत्या के आरोप में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 1000/- अर्थदंड एवं नाबालिग बालिका उम्र 03 साल की हत्या के आरोप में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 1000/- अर्थदंड तथा धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का कारावास व 1000/- अर्थदंड एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया। दिनांक 09.03.2023 को परफयरी गोपाल ने पुलिस थाना पंधना में इस अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाई अभियुक्त जादू की शादी 07 साल पहले सिद्ध बाई के साथ हुई थी। अभियुक्त का कुल लच्छा उम्र 05 साल तथा दूसरी लच्छा उम्र 03 साल है, लगभग 10-12 दिन पहले अभियुक्त जादू की पत्नी माया के चले गई थी, दोनो बच्चों पिता जादू के पास थे। दिनांक 05.03.2023 को दिन में 01:30 बजे अभियुक्त जादू मोटरसाइकिल से दोनो बच्चों को बेकरार कर अंबावडी निकला था उसी दिन शाम 04 बजे अभियुक्त जादू मोटरसाइकिल से अंबेला पर आया तो उसने सोचा कि वह दोनो बच्चों को उसकी मर्ी कर प्राम अनाबखंड छेड आवा होगा किन्तु अगले दिन सैमरार को पता चला कि दोनो बच्चे अंबावडी उसकी मर्ी के पास नहीं पहुँचे।

ढील नगाड़ों आतिशबाजी के साथ निकलेगी जय रतलाम रैली


बसंत पंचमी को मनाया जाएगा रतलाम स्थापना उत्सव, 23 जनवरी को निकलेगी विशाल रैली

रतलाम। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर रतलाम का 374 वा स्थापना दिवस धूमधाम मनाया जाएगा। रत्नपुरी स्थापना उत्सव समिति द्वारा विशाल जय रतलाम रैली वाहन रैली 23 जनवरी को प्रातः 10 बजे महलवाड़ा चौड़ाह से निकाली जाएगी। रत्नपुरी स्थापना उत्सव समिति संयोजक पूर्व गृह मंत्री छिन्न कोठारी ने हरमूरा को बताया कि हमने रत्नपुरी की पावन माटी में जन्म लिया, जो हमारी कर्तुभूमि है, जिस पर हमें गर्व है। ऐसी धारा धारा जहाँ माँ कालिका का सदा आशीर्वाद रहा। रत्नपुरी नगर का स्थापना दिवस बसंत पंचमी के पावन दिवस पर आता है , हम सभी तलाम निवासी हमारी इस मातृभूमि को नमन करते हुए की रतलामी होने का समान दिया। उसके लिए 'रत्नपुरी स्थापना उत्सव समिति' के माध्यम से उत्सव एवं उमंग से जिस प्रकार हम अपने परिवार के सदस्य का जन्मदिन मनाते हैं, उसी उत्सव, उमंग एवं जोश से हमारी मातृ भूमि हमारे नगर का स्थापना दिवस मनाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की कोशिश कर अधिक से अधिक खुश्या में अपने इष्ट मित्रों के साथ इस उत्सव में प्रतिभित होकर मातृभूमि के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर जय रतलाम नगर का स्थापना दिवस बसंत पंचमी के पावन दिवस पर आता है , हम सभी तलाम निवासी हमारी

होला समापन
समिति के प्रचार प्रमुख जयेश राठौर ने बताया कि विशाल वाहन रैली महलवाड़ा से प्रारंभ होगी और फैलेस रोड, डा. लु. मोदी बाजार, माणक चौक, घास बाजार, चौकसुपुल, चांदनी चौक, तोपखाना, गणेश देवरी, धान मही रानीजी का मंदिर, शहर सरय शहीद चौक, न्यू रोड, दो बनी, छत्रीपुल से नगर निगम चौड़ाह विस्तार महाराज स्व. श्री रतन सिंहजी की प्रतिमा ने मात्स्यारण परचात डा. लु. मोदी बाजार पर समापन होगा।

रैली को सफल बनाने का आह्वान
जय रतलाम रैली को सफल बनाने की अपील भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, भाजपा नेता महेंद्र कोठारी, पूर्व जिला अध्यक्ष बनरंग पुरोहित, पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अशोक जैन चौटाला, पूर्व महावीर शैलेंद्र डागा, पूर्व निगम अध्यक्ष दिनेश पोखवाल, पूर्व आरडीए अध्यक्ष अशोक पोखवाल, अशोक जैन लाला, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष विकास कोठारी, बुणी झोपड़ी प्रकल्प प्रदेश सह संयोजक मनीष शर्मा, भाजपा नेता दिनेश राठौर, खेल प्रकल्प प्रदेश सह संयोजक यशेंद्र भारद्वाज, विद्यार्थी परिषद पूर्व छात्र नेता जयेश राठौर, भाजपा नेता हामक भगत, तपन शर्मा, पार्षद धर्मेद

व्यास, पूर्व पार्षद अरुण राव, राजेंद्र राठौर, पवन सोमानी, गोपाल सोलंकी, देवशंकर पांडे, पवन शर्मा, गोपाल परमार, सुरेंद्र जोशी, सीमा टांक, सतीश भारती, बलवीर सिंह सोही, मीसाबंभू चंदन पोरिया, जिला उपाध्यक्ष सुनील सारावत, मेहलवान सिंग, राजेंद्र मोदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बदीलाल परिराव, आर.एस. मण्डल, तेलीवाल शर्मा, आनु दायमा, महेंद्र भरकुटीया, हरश्री गीना, लक्ष्मीनारायण धरवा, नरु राठौर, राजेश पवन शर्मा, मोहन सोलंकी, कनेवला लाल ठाकुर, सुरेंद्र राठौर, रजेश मृगत, गोपाल विपाटी, राजेश मृगत, शैलेंद्र अंडे, अंडेश श्रीवास्तव, ईश्वर पंचाल, मुकेश मीणा, कन्हैयालाल डगवाल, गोपाल सोनी, महेश सोलंकी, इशराम मंसुरी, गोपाल मलिक, डॉ. ईश्वर बोरगा, घनश्याम पुरोहित, मोहन अग्रवाल, नीरज परमार, जीतू वाघवा, प्रकाश परवाना, किशोरी विजयाराम, राजेश जैन, रॉडर कार्वांडिया, महेश सोलंकी, गीतेश शर्मा, गोविंद चौहान, जयंतिलाल चौधरी, गोकुल जोशी, चंदू व्यास, राजेश चौहान, चेतन पर्वेचा, लक्ष्मण जोशी, हिताश बरसेचा, सुरेंद्र भाटी, फकीरबंद राठौर, मुकेश मीणा, अरविंद राठौर, कमल शिवतानी, जैशित सिंह राठौर, अनारसिंह कुंभल आदि ने रैली को सफल बनाने का आह्वान किया।



बसंत पंचमी रतलाम स्थापना दिवस (नगर गौरव दिवस)

रतलाम स्थापना महोत्सव समिति व नगर निगम द्वारा तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन

रतलाम। रतलाम स्थापना महोत्सव समिति को बैकट 17 जनवरी को समिति के संस्थापक व समिति संयोजक मुन्नालाल शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैकट में आगामी बसंत पंचमी तलाम स्थापना दिवस पर समिति द्वारा तीन दिवसीय कार्यक्रम कर रतलाम स्थापना दिवस को नगर गौरव दिवस के रूप में मनाने पर सर्वानुमति से विचार-विमर्श किया गया। उक्त जाकारती देते हुए समिति अध्यक्ष प्रवीण सोनी, सचिव मंगल लोढ़ा ने बताया कि जैसा की आभक्त विदित है कि विगत 33 वर्षों से रतलाम स्थापना महोत्सव समिति रतलाम स्थापना दिवस का आयोजन करती चली आ रही है इसी क्रम में इस वर्ष भी रतलाम स्थापना महोत्सव समिति द्वारा बसंत पंचमी पर तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किये जाऊँगे का निर्णय लिया गया जिसके तहत 21 जनवरी सुबहवार को सांय 07:00 बजे रतलाम राज्य के जनक महाराज रतनसिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया जाएगा। 22 जनवरी गुरुवार को रतलाम स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सांय: 7:30 से नगर के विभिन्न चौड़ाहों पर आभक्त आतिशबाजी की जावेगी। 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी तलाम स्थापना दिवस को नगर गौरव दिवस के रूप में मनाने हेतु नगर निगम तिरोहें पर स्थापित रतलाम राज्य के जनक महाराज रतनसिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया जाएगा व आतिशबाजी कर मिठाई वितरण नगर निगम रतलाम व रतलाम स्थापना महोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया जायेगा। बसंत पंचमी का कार्यक्रम सुबह लुधे एवं मध्यम उमम मंत्री मानवीश श्री वनेय जी कास्यप के मुखे आतिथ्य, महावीर प्रह्लाद पटेल की अध्यक्षता तथा भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय एवं निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा के विशेष आतिथ्य में आयोजित होगा। आयोजित बैकट में समिति के सदस्य आदिल डाटा, विवेक जैन, गोपाल शर्मा, राजेंद्र पाटीदार, राजेंद्र अग्रवाल, सुनील सिहालोट, गौरव मृगत, अतुल शर्मा, रामचन्द्र शर्मा, सुनील माली, सरयवती रावत, अथय कासया, ईश्वर बरवाडिया, अरविंद कारीया, कलसिंह चौहान, प्रह्लाद माली, मंगलेश गुर्जर, नरेंद्र श्रेष्ठ, सचिव पंचाल, महेंद्र मृगत, उल्कर सुरेंद्रचन्द्र चावड, श्याम सोनी, तपनराव डाटा, लालू, नागुसिंह, मुकेश पंड्या, नवीन बेरगी, सरनानारायण भाटी, कलसिंह चौहान, प्रह्लाद माली, मंगलेश गुर्जर, विशाल चावड आदि उपस्थित थे।

थाना कसरावद खरगोन पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर दी दबिश

थाना कसरावद पर की गई कार्यवाही ग्राम भीलगाँव में अवैध कच्ची शराब बनाने की नद्वी को किया ध्वस्त

इंदौर नगावापर सेवकालन नोटी
कसरावद पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जेन इंदौर (ग्रामीण) अनुसूच एवं पुलिस उप महानिरीक्षक निमाड रंज खगोन सिद्धाई बहुराणा द्वारा अवैध शराब निर्माण, विक्री की अवैध परबंद पर अंकुश लगाने हेतु निरीक्षण किया गया था। उक्त निरीक्षण के परिणामतः पुलिस अधीक्षक खरगोन रविंद्र वर्मा के निरीक्षण व अति. पुलिस अधीक्षक खरगोन (ग्रामीण) शकुन्तला रहल के द्वारा दबिश दी गई जिसमें मौके पर पुलिस टीम ने घेराव करी अवैध कच्ची शराब की भट्टी सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम भीलगाँव का रहने वाला महेश थवारिया, ग्राम भीलगाँव में अवैध कच्ची महुआ शराब की भट्टी संचालित कर रहा है। मुख्याधिकारी को सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना भारी कसरावद निरीक्षक राजेंद्र बानिन के नेतृत्व में पुलिस टीम को मुख्याधिकारी को सूचना से अवगत करवाकर खाना किया गया। जहाँ पुलिस टीम के द्वारा दबिश दी गई जिसमें मौके पर पुलिस टीम ने घेराव करी अवैध कच्ची शराब की भट्टी संचालित करते एक व्यक्ति मिला जिससे उसका नाम पता पछुने पर उसने अपना नाम पता पिता थवारिया निवासी ग्राम भीलगाँव का होना बताया। पुलिस टीम के द्वारा मौके पर 20 लिटर अवैध कच्ची शराब कीमती लगभग 3000/- रुपये व अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस टीम - उक्त अवैध कच्ची शराब एवं अवैध कच्ची शराब बनाने के संसाधनों को निष्पान्नुवार विधित्त जा किया गया एवं अवैध संचालित भट्टी व लगभग 200 लिटर लहान कीमती लगभग 10,000/- रुपये को मौके पर नष्ट किया जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना कसरावद पर अपराध क्रमांक 22/26 धारा 34(1) आभक्तगी अधिनियम का पंजीब